

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,  
विशेष कार्याधिकारी,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,  
नगर निगम,  
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 17 जनवरी, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत नगर निगम, लखनऊ को द्वितीय/अन्तिम किश्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1062/एस.टी/एन.ए.एस/न.आ. दिनांक 13.07.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत नगर निगम, लखनऊ को शासनादेश संख्या-77/2015/1870/नौ-5-2015-476सा/2014 दिनांक 17 मार्च, 2015 द्वारा सड़कों के निर्माण हेतु ₹0 80.43 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि ₹0 40.21 लाख अवमुक्त की गयी है। प्रथम किश्त की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 में चालू कार्य हेतु द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष ₹. 40.22 लाख (₹. चालीस लाख बाइस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि लाख में)

जिले का नाम	नागर निकाय का नाम	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश एवं दिनांक	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
लखनऊ	नगर निगम, लखनऊ	77/2015/1870/नौ-5-2015-476सा/2014 दिनांक 17 मार्च, 2015	80.43	40.21	40.22
		योग			40.22

(₹0 चालीस लाख बाइस हजार मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा नगर निगम, लखनऊ के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

(2) उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपॉजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

- (3) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को दिनांक 31-03-2017 तक संबंधित निकाय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
  - (4) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।
  - (5) उक्त के अतिरिक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 17 मार्च, 2015 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-191-नगर निगमों को सहायता-04-उ.प्र. व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2016-बी/1-1746-दस/2016-132/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्राप्त प्रशासकीय विभाग को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
  
 ( उमा शंकर सिंह )  
 विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-29/2017/109(1)/नौ-5-2017-476सा/2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, कलेक्टर कोषागार, लखनऊ।
5. महापौर, नगर निगम, लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक (अनुभाग-1/2)
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।



आज्ञा से,  
  
 ( उमा शंकर सिंह )  
 विशेष कार्याधिकारी।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-17/01/2017


प्रेषण संख्या:- 29  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-29-2017-109-9-5-2017-476Sa-201  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)  
80 - सामान्य  
191 - नगर निगमों को सहायता  
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय  
01 - नगरीय सड़क सुधार योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4022000 307896000	4022000 307896000
	योग	वर्तमान प्रगामी	4022000 307896000	4022000 307896000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चालीस लाख बाइस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीस करोड़ अठहत्तर लाख छियानवे हजार

  
(उमा शंकर सिंह)  
विशेष कार्याधिकारी